

3/15 मार्च


30.11.16

आरोपी योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र माडु उर्फ रायसिंह की ओर से श्री के० सी० उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण आज पेशी में लेकर अर्थदण्ड की राशि जमा करने की कृपा करें ।

आवेदन पर सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदन विचार उपरान्त स्वीकार । प्रकरण में आरोपी रामौतार की ओर से हुये अर्थदण्ड को जमा नहीं किया गया है आज वह जमा करना चाहता है ।

अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि 13000/- रुपये जमा की गयी जो रसीद क० 13 पर जमा कर उसे रसीद दी गयी ।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष न होने से दाखिल रिकार्ड हो ।


ए० एस० जे० मोहद